संख्या-7-2025-858-57-1099-30-2023

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 17 अप्रैल, 2025**

विषय:- धर्मार्थ कार्य निदेशालय के संचालन हेतु विभिन्न मानक मदों में धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15/ध0का0वि0नि0/अधि0 बजट/2025-26, दिनांक 09.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग, निदेशालय वाराणसी के संचालन हेतु अनुदान संख्या-084 के लेखा शीर्षक-2070-00-001-03-00 के विभिन्न मानक मदों प्राविधानित धनराशियों में से 08-कार्यालय व्यय मद में धनराशि रू0 10.00 लाख, 11-स्टेशनरी एवं फार्मों की छपाई मद में धनराशि रू0 05.00 लाख, 12-कार्यालय फर्नीचर और उपकरण मद में रू0 10.00 लाख एवं 42-अन्य व्यय मद में रू0 10.00 लाख, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में रू0 25.00 लाख, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तद्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय मद में रू0 05.00 एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 25.00 लाख (कुल धनराशि रू0 10.00+05.00+10.00+10.00+25.00+05.00+25.00=90.00 लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 90.00 लाख आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ कार्य निदेशालय के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-084 के लेखा शीर्षक-2070-00-001-03-00 के विभिन्न मानक मदों प्राविधानित धनराशियों में से 08-कार्यालय व्यय मद में धनराशि रू0 10.00 लाख, 11-स्टेशनरी एवं फार्मों की छपाई मद में धनराशि रू0 05.00 लाख, 12-कार्यालय फर्नीचर और उपकरण मद में रू0 10.00 लाख एवं 42-अन्य व्यय मद में रू0 10.00 लाख, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मद में रू0 25.00 लाख, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तद्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय मद में रू0 05.00 एवं 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान मद में रू0 25.00 लाख (कुल धनराशि रू0 10.00+05.00+10.00+10.00+25.00+05.00+25.00=90.00 लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 90.00 लाख (रू0 नब्बे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस मद में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
2. उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
3. जिस प्रयोजन से धनराशि निर्गत की जा रही है उस प्रयोजन के पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2070000010300 (धर्मार्थ कार्य निदेशालय)

क्र0	**अनुदान संख्या**	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	08 कार्यालय व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
2	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
4	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
5	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
6	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
7	084	2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कुल			**90,00,000** **(रुपये नब्बे लाख मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-7-2025-858-57-1099-30-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी ।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।